कि. बा. हजारे (अण्णा)
K. B. alias Anna Hazare

राळेगण सिद्धी, तालुका पारनेर,
जिल्हा अहमदनगर (महाराष्ट्र)
पिन - ४१४३०२
☎ ०२४८८-२४०४०१/२४०२२७
www.annahazare.org

Ralegan Siddhi, Tal. Parner,
Dist. Ahmednagar (Maharashtra)
PIN - 414302
☎ 02488-240401/240227
Email: annahazareoffice@gmail.com

दिः २४ नोव्हेंबर २०१३
भ्र.वि.ज. ३४/२०१३-१४

मुख्य चुनाव आयुक्त,
केंद्रीय निर्वाचन आयोग,
नई दिल्ली.

आदरणीय महोदय,

राजनीती मे गुन्हेगारीकरण और अपराधीकरण बढ रहा है। विधानसभाओ और संसद की मर्यादा पर यह एक बडा दाग है। संसद और विधानसभायें लोकतंत्र के मंदिर है। आज ये मंदिर दुषित और अपवित्र हो रहे है, क्योंकि इनमे गुनहगार और अपराधियोंका जाना आसान हो गया है।

बलशाली और साख वाले भारत केलिए चारित्र्यवान लोग संसद और विधानसभाओ मे जाना अवश्यक है। इसलिए राइट टु रिजेक्ट कानुन बनना जरूरी है। दुःख की बात है कि, सरकराने यह कानुन नही बनाया जबकि देश के लोगोंकी यह मांग सरकार से रही है। मै भी लगातार यह मांग करता रहा हुँ कि देश के लोकतंत्र केलिए यह कानून अत्यावश्यक है।

मै सर्वाच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हुं कि, उन्होंने राइट टु रिजेक्ट की जरूरत पर ध्यान दिया और इस पर फैसला दिया। इसे अमल मे लाने केलिए सर्वाच्च न्यायालय ने आपके पास इसे भेजा है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है।

जागरूक मतदाता लोकशाही का आधार है। मेरा यह विश्वास है कि, जब तक मतदार या मतदाता जागरूक नही होगा तब तक संसद और विधानसभाओ मे चारित्र्यवान लोगों का जाना मुश्किल है। इसलिए राइट टु रिजेक्ट के बारेमे मतदाताओंको जगाना जरुरी है। लेकिन हमे जानकारी मिली है कि मतदाताओंको जगाने के प्रचार केलिए कार्यकर्ताओंको मना किया जा रहा है। मेरे पास कुछ रिर्टनिंग आफिसर्स के ऐसे ऑर्डर की प्रतिया आई है। मुझे यह बात ठीक नही लगती। चुनाव के समय सामान्य और अनपढ मतदाताओंको जगाना आवश्यक है। इसपर बंधन नही लगना चाहिए इसलिए आप इस पर पुर्नविचार करें। राइट टु रिजेक्ट का अर्थ हर मतदाता को समजना जरूरी है।

चारित्र्यशिल लोगो को संसद या विधानसभा मे भेजना हो तो केवल नापसंदी का बटन लगा कर काम पुरा नही होगा। जो उम्मीदवार एक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र मे खडे है, यदि वहा से मतदाताओंको उनमे से एक भी पसंद नही है तो वे नापसंदी का बटन दबाएंगे। अगर खडे हुए सभी उम्मीदवारोंसे ज्यादा नापसंदी वाले बटन को वोट मिले तो वहा का चुनाव रद्द करना चाहिए। जिस उम्मीदवार को मतदाताओंने नापसंद कर दिया है उन्हे पुन: चुनाव कराने कि प्रक्रीया मे खडे होने कि इजाजत नही हानी चाहिए।

जब तक यह नही होगा तब तक विधान सभा और लोकसभा में गुनहगार जाने से नही रूक पाएंगे। जब तक यह नही होता तब तक देश में सही जनतंत्र या सही लोकतंत्र नही आ सकता।

इसके बारे मे आपकी तरफ से योग्य निर्णय हो यह जनता की अपेक्षा है। मै आपसे मिलने स्वयं आता पर मेरा एक बडा ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से डॉक्टर आने की इजाजत नही दे रहे है।

आशा है आप जनता की इच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और लोकतंत्र को मजबूत करने केलिए राइट टु रिजेक्ट की पुरी प्रक्रिया बनाऐंगे और कार्यकर्ताओंको इसका प्रचार करने की इजाजत देने का आदेश निकालेंगे। वैसे चुनाव आयोग को अपनी तरफ से से भी इसका प्रचार जोर शोर से करना चाहिए।

धन्यवाद।

आपका,

कि.बा.तथा अण्णा हजारे